न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/342/2017

उनवान

1. श्रीमती बाली पत्नी काना भील निवासी हरीपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. हीरा पुत्र रामा भील निवासी खेडी मजरा खेजडी , तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मंगला पुत्र मांगु भील निवासी शिव नगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. धन्ना पुत्र मांगु भील निवासी शिव नगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 301/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.4.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रमेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के भाई स्व0 काना के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी नम्बर 661 रकबा 5 बीघा एवं आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

843/426 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा ग्राम शिवनगर तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में स्थित है। वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:—

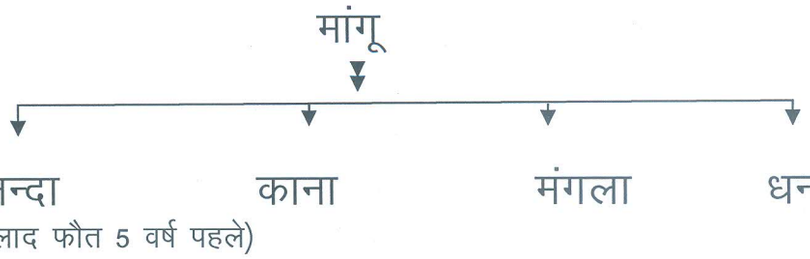

2. खातेदार स्व0 कानाका स्वर्गवास दिनांक 3.2.1999 को वादीगण के पास ही हुआ था तथा काना के फौत होने के बाद वादीगण ने ही उसके सभी अंतिम संस्कार के कार्य किये तथा स्व0 काना की कुलिया सम्पति पर वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

3. वादीगण के भाई स्व0 काना ने प्रतिवादी नम्बर 1 श्रीमति बाली से नाता किया लेकिन प्रतिवादी बाली वादीगण के स्व0 भाई काना के पास लगभग 2 माह रही और काना के जीवित रहते ही अन्यत्र नाते चली गई और काना को छोडकर चार जगह भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के नाते जाने के बाद आखिर में प्रतिवादी श्रीमती बाली श्री रतना भील पिता लालू भील निवासी हरिपुरा (रणवा का खेडा) के पिछले 10 वर्ष पूर्व नाता विवाह किया तभी से रतना भील के पास उसकी पत्नी बनकर रह रही है। प्रतिवादी श्रीमती बाली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्व0 काना को छोडकर दूसरा विवाह करने के कारण स्व0 काना की सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं रहता है फिर भी प्रतिवादी बाली पटवारी एवं अन्य व्यक्तियों सेमिलकर स्व0 काना की खातेदारी अधिकार की आराजियात 661 व843/426 वाके शिवपुरा को अपने नाम परिवर्तन करवाकर दिनांक 20.10.2008 को बिना अधिकार के प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम बनावटी एवं बोगस बेचान निष्पादित करवा पंजीयन करवा दिया । प्रतिवादी नम्बर 1 स्व0 काना को छोडकर अन्यत्र विवाह करने के बाद काना की सम्पति में कोई हक, स्वत्व, हिस्सा नहीं रहने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने आपको स्व0 काना की पत्नि बताकर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन विधिविरूद्ध करवा लिया । जिसकी नकलें पटवारी हल्का ने जारी नहीं की ।

4. पटवारी हल्का ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदवाने की गरज से यह जानते हुए कि प्रतिवादी बाली स्व0 काना की पत्निनहीं है और 9 स्व0काना के जीवन काल में ही अन्यत्र नाता विवाह कर लिया है फिर भी लुके–छिपे बाली के नाम पर खाता परिवर्तन कर बेनामी तौर पर प्रतिवादी नम्बर 2 हीरा के नाम पर बेचान पंजीयन करवाया जबकि हीरा की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वह पचास हजार रूपये का भी भुगतान नहीं कर सकता है। वादीगणस्व0 काना के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी है तथा वादीगण स्व0 काना की खातेदारी हक की आराजियात के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण का वाद हेतुक दिनांक 20.10.2008 को वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान करने से पैदा हुआ है। अतः वादीगण के पक्ष मकें तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री इस अमर की पारित की जावे कि आराजी नम्बर 661 एवं 843/426 वाके ग्राम शिवनगर के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में किया गया बेचान दिनांक 20.10.2008 वादीगण के मुकाबली में शून्य प्रभावी होकर बेअसर है तथा माफिक घोषणा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम अंकित किये जाने की डिक्री पारित की जावे। तथा वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्ज्काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करे। :

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र कर स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभ्यपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय तथ्यों एवं साक्ष्य का गलत तौर पर विवेचन करते हुए पारित किया है। ग्राम शिवनगरकी आराजी संख्या 661, 843/426 भूमि काना पिता मांगू भील के नामदर्ज होकर काना पिता मांगू भील की मृत्यु के बाद बतौर विरासत अपीलाण्ट संख्या 1 के नाम पर दर्ज हुआ है एवं वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट नम्बर 1 के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की होने से साधिकार अपीलाण्ट संख्या 2 कोजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की है। यह तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर मौजूद होते हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

भी तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में पारित कर गम्भीर त्रुटि की है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 व 3 के निर्णय में गलत तौर पर तथ्य एवं दस्तावेज एवं साक्ष्यका विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है पत्रावली पर यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलाण्ट संख्या 1 मृतक काना की पत्नि है एवं पत्रावली पर यह साक्ष्य भी उपलब्ध है कि अपीलाण्ट संख्या 1 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने ग्राम शिव नगर की ही आराजी संख्या 791/354 को संयुक्त रूप से दिनांक 20.2.2.2008 को उगमी पत्नी मिश्री लाल को विक्रय की थी, इस प्रकार जब स्वयं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श डी 1 में अपीलाण्ट को उनके भाई काना की पत्नी मानते हुए संयुक्त तौर पर विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया है जिसको रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी है तो ऐसी स्थिति में अन्य आराजियात के संबंध में अपीलाण्ट संख्या 1को मृतक काना का वारिस नहीं माननेका कोई आधार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रह जाता है एवं माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2व 3 के निर्णय में यह तथ्य वर्णित किया है कि हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 2 के अनुसार मृतक खातेदार काना की सम्पति में अपीलाण्ट संख्या 1 के अधिकार समाप्त हो गये हैं जबकि अपीलाण्टगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 निरसित (समाप्त) संबंधित कानून प्रस्तुत कर दिया । फिर भी माननय अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं देते हुए मनमकसूद तौर पर अपीलाण्ट संख्या 1 के पक्ष में विधिवत खोले गये नामान्तरकरण को अवैध एवं नाजायज घोषित करते हुए अपीलाण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट संख्या 2 के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को भी शून्य प्रभावी घोषित किया है। जो किसी भी प्रकार से विधिवत नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाण्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 मृतक काना के जीवनकाल मे ही अन्यत्र नाते चली गई थी ऐसी स्थिति में मृतक काना की वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट संख्या 1 का कोई हक अधिकार निहित नहीं रहता है। प्रत्यर्थीगण मृतक काना की द्वितीय श्रेणी के वारिस है। इसलिए वे वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार स्व0 कानाका स्वर्गवास दिनांक 3.2.1999 को वादीगण के पास ही हुआ था तथा काना के फौत होने के बाद वादीगण ने ही उसके सभी अंतिम संस्कार के कार्य किये तथा स्व0 काना की कुलिया सम्पति पर वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादीगण के भाई स्व0 काना ने प्रतिवादी नम्बर 1 श्रीमति बाली से नाता किया लेकिन प्रतिवादी बाली वादीगण के स्व0 भाई काना के पास लगभग 2 माह रही और काना के जीवित रहते ही अन्यत्र नाते चली गई और काना को छोडकर चार जगह भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के नाते जाने के बाद आखिर में प्रतिवादी श्रीमती बाली श्री रतना भील पिता लालू भील निवासी हरिपुरा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

(रणवा का खेडा) के पिछले 10 वर्ष पूर्व नाता विवाह किया तभी से रतना भील के पास उसकी पत्नी बनकर रह रही है। प्रतिवादी श्रीमती बाली स्व0 काना को छोडकर दूसरा विवाह करने के कारण स्व0 काना की सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं रहता है फिर भी प्रतिवादी बाली पटवारी एवं अन्य व्यक्तियों सेमिलकर स्व0 काना की खातेदारी अधिकार की आराजियात 661 व 843/426 वाके शिवपुरा को अपने नाम परिवर्तन करवाकर दिनांक 20.10.2008 को बिना अधिकार के प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम बनावटी एवं बोगस बेचान निष्पादित करवा पंजीयन करवा दिया । प्रतिवादी नम्बर 1 स्व0 काना को छोडकर अन्यत्र विवाह करने के बाद काना की सम्पति में कोई हक, स्वत्व, हिस्सा नहीं रहने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने आपको स्व0 काना की पत्नि बताकर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन विधिविरूद्ध करवा लिया । जिसकी नकलें पटवारी हल्का ने जारी नहीं की । पटवारी हल्का ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदवाने की गरज से यह जानते हुए कि प्रतिवादी बाली स्व0 काना की पत्निनहीं है और स्व0काना के जीवन काल में ही अन्यत्र नाता विवाह कर लिया है फिर भी लुके–छिपे बाली के नाम पर खाता परिवर्तन कर बेनामी तौर पर प्रतिवादी नम्बर 2 हीरा के नाम पर बेचान पंजीयन करवाया जबकि हीरा की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वह पचास हजार रूपये का भी भुगतान नहीं कर सकता है। वादीगणस्व0 काना के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी है तथा वादीगण स्व0 काना की खातेदारी हक की आराजियात के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

11. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया एवं प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त चार तनकियात कायम की जो निम्नानुसार है :–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. आया वादीगण अपने भाई काना के कब्जेकाश्त की आराजियात को काना के जीवनकाल में व काना की मृत्यु के बाद काश्त करते चले आ रहे हैं ?
2. आया प्रतिवादी श्रीमती बाली कानाके जीवनकाल में ही रतना भील रणवा का खेडा से नाता ब्याह कर लिया जिससे बाली का काना की सम्पति के कोई हक अधिकार पैदा नही होता है ?
3. आया प्रतिवादी बाली द्वाराकिया गया बेचान वादी के मुकाबले में बिना अधिकार के शून्य प्रभावी है ?
4. अनुतोष

12. अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर एक को निस्तारित किये जाने से पूर्व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श पी 2 जमाबंदी , प्रदर्श पी जमाबंदी संवत 2056 से2059 मौजा शिवनगर के आराजी नम्बर 661, 843/426 किता 02 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि कानापिता मांगू भील साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी । यह निर्विवाद रूप से माना कि वादीगण मृतक काना के भाई है और उन्हीं का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 को वादीगण के पक्ष में साबित माना है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात मृतक काना के नाम पर दर्ज थी इस आधार पर मृतक काना का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा होने बाबत वादीगण द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं न ही कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है जिससे वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का कब्जा साबित हो सके । उसके बावजूद तनकी नम्बर 1 का जो निर्णय वादीगण के पक्ष में पारित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। वादग्रस्त आराजियात मृतक काना की होना निर्विवाद है। स्वयं वादीगण ने माना है कि अपीलाण्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती बाली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काना की पत्नि थी। ऐसी स्थिति में काना की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण नहीं खुलने पर भी विरासत स्वतः प्रोद्भूत हो जाती है, अतः इसे निष्कर्षित होता है कि काना की मृत्यु होते ही उसकी विधिक पत्नि को स्वतः पति की विरासत से मृतक काना के अधिकार प्राप्त हो जाते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक व विरासतन अधिकारों बाबत विस्तृत विवेचन नहीं किया जा कर मात्र इस आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की है कि वादीगण मृतक काना के भाई हैं तथा उन्हीं का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि मात्र कब्जे के आधार पर काश्त नहीं मानी जा सकती । यदि बाली स्वर्गीय काना के फुटस्टेप में जायन्दा पत्नि होने से सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी हो तो सहखातेदार का कब्जा नहीं होने से भी उन्हें काश्तकार माने जाने से इंकार नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 के संबंध में जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं है।

13. तनकी नम्बर 2 व 3 का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकसाथ किया गया है । जिसके अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी 01 विधानसभा चुनाव क्षेत्र राजस्थान के निर्वाचक नामावली 2009 भाग संख्या 244 ग्राम हरिपुरा तहसील हुरडा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बाली के पति का नाम रतन अंकित है। उक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने यह माना कि प्रतिवादी संख्या 1 ने काना के जीवनकाल में ही रतना भील ग्राम हरिपुरा से नाता विवाह कर लिया था और उसकी पत्नी के रूप में निवासकर रहीहै। इस आधार पर मृतक खातेदार हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 02 के अनुसार वह मृतक खातेदार काना की सम्पति से अधिकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समाप्त हो गये हैं। परन्तु इस बाबत वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा नाता जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 का रतना भील निवासी हरिपुरा के यहॉ नाता जाना साबित होता हो। मृतक काना की मृत्यु वर्ष 1999 के आस–पास होना स्वयं वादीगण ने अपने वादपत्र में बताया है। जबकि जो निर्वाचक नामावली प्रस्तुत की गई है वह वर्ष 2009 की है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजियात में हक अधिकार मृतक काना की मृत्यु होते ही स्वतः निहित हो जाते हैं । आराजियात खसरा नम्बर 661 व 843/426 वाके शिवपुरा को दिनांक 20.10.2008 अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम बेचान निष्पादित करवा पंजीयन करवाया गया है । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 की धारा 02 को आधार बनाकर तनकी नम्बर 2 व 3 निर्णित की है। पत्रावली से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट बाली स्वर्गीय काना की पत्नि के रूप में कानूनन विधिक वारिस थी तथा प्रदर्श डी 1 अनुसार खसरा नम्बर 791/354 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा के रजिस्टर्ड बेचान नामे में मंगला व धन्ना के साथ–साथ काना के हक हिस्से की सम्पति में बतौर पत्नि अभिलिखत है । जिनकी पॉवर ऑफ एटोर्नी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 धन्ना के नाम जारी की जाकर दिनांक 8.2.2008 को बिकाव किया गया । ऐसे में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को भलीभॉति ज्ञात था कि मृतक खातेदार काना के विधिक वारिस बाली है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 को प्रत्याहरित कर लिया जाने तथा हिन्दु विधवा पुनर्विवाह (प्रत्याहरण अधिनियम) अधिनियम 1983 (24 ऑफ1983) दिनांक 31 अगस्त 1983 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिस अनुसार हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 को प्रत्याहरित किया जा चुका

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। इस क्रम में न्यायिक उद्धरण 2009 (2) आर एल डब्ल्यू (राजस्थान) 926 (एस सी) भी प्रस्तुत किया गया है। जिस अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 , 14 व 4 सपठित हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 की धारा 2 (निरसित) 1856 की धारा 2 के के ऊपर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 का प्रीााव माना है। न्यायिक उद्धरण का ससम्मान अवलोकन किया गया । मेरा विनम्र अभिमत है कि स्वर्गीय काना की मृत्यु उपरान्त बाली विधिक पत्नि की हैसियत से प्रथम श्रेणी की वारिस होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विधिक अधिकारी प्राप्त कर चुकी थी तथा अपने इन्हीं विधिक अधिकारों के अनुक्रम में बाली को काना की सम्पति में पूर्ण हक अधिकार होने से बाली द्वारा किया गया बेचान वैध व जायज है। अतः तनकी नम्बर 2 व 3 के संबंध में पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है । तनकी नम्बर 2व 3 प्रतिवादी/अपीलाण्ट बाली के पक्ष में निर्णित की जाती है।

14. उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन करने के उपरान्त समग्र रूप से हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 बाली मृतक खातेदार काना की जायन्दा पत्नि व विधिक वारिस है। जिसे प्रदर्श डी 1 अनुसार वादीगण द्वारा भी विधिक अधिकार मांगे हैं। हम अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से सहमत नहीं है कि कि मृतक खातेदार काना की सम्पति में अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के हक अधिकार समाप्त हो गये । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि काना के जीवनकाल में ही बाली उसे छोडकर अन्यत्र नाते चली गई परन्तु इस बाबत कोई तनकी कायम नहीं की गई है तथा वादीगण द्वारा अपीलाण्ट बाली के नाते चले जाने बाबत कोई स्पष्ट दिनांक नहीं बताई है तथा बाली के नाते चले जाने बाबत मात्र एक दस्तावेजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साक्ष्य प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है जो निर्वाचक नामावली 2009 होने से यह नहीं माना जा सकता कि काना की मृत्यु के समय बाली उसे छोडकर अन्यत्र नाते चली गई । क्योंकि प्रकरण खातेदारी उद्घोषणा का है। अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधारपर निर्णय करते न कि मौखिक कथन अथवा कयासों के आधार पर । वाद को साबित करने का भार वादीगण पर था अतः वादीगण को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद साबित करना था। जिसमें वे असफल रहे हैं। अतः यह निष्कर्षित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह बिना किसी ठोस साक्ष्य, दस्तावेजो के आधार पर पारित किया गया है। जिसे विधिसम्मत नहीं माना जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अपीलाण्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजियात का प्रथम श्रेणी की वारिस होने की हैसियत से अपीलाण्ट संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर रजिस्टर्ड बेचान नामा विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है । अधिनस्थ न्यायालय में एवं न्यायालय हाजा में भी वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट संख्या 1 मृतक काना की मृत्यु के समय उसकी पत्नि नहीं रही हो। अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह बिना किसी ठोस साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर पारित किया है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.4.2017 को निरस्त किया जाता हैं। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

16. निर्णय आज दिनांक 26.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/342/2017

उनवान

1. श्रीमती बाली पत्नी काना भील निवासी हरीपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. हीरा पुत्र रामा भील निवासी खेडी मजरा खेजडी , तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मंगला पुत्र मांगु भील निवासी शिव नगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. धन्ना पुत्र मांगु भील निवासी शिव नगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 301/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.4.2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/342/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 26.9.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री गोपाल अजमेरा प्रत्थर्थी संख्या 1,2 के वकील श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 26.9.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.4.2017 को निरस्त किया जाता हैं।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

26/9/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस